विहंगावलोकन

वर्ष 2013-14 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,09,789 करोड़ था। इसमें से, नौसेना ने ₹33,831 करोड़ खर्च किए, जो कुल रक्षा व्यय का लगभग 16.13 प्रतिशत था। नौसेना के व्यय का प्रमुख भाग पूंजीगत स्वरूप का है, जो कुल व्यय का लगभग 60.18 प्रतिशत है।

इस प्रतिवेदन में नौसेना, तटरक्षक, सैन्य अभियंता सेवा तथा चार रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र पोतनिर्माण बाड़ो अर्थात मज़गांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के लेन-देन की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मुख्य निष्कर्ष समाविष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ प्रमुख निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है।

I. आईएनएस सिन्धुकीर्ति की मध्यम रीफिट एवं अपग्रेडेशन

ईकेएम पनडुब्बी की मध्यम रीफिट (एमआर) 2001 में शुरु की जानी थी, परन्तु जनवरी 2006 से शुरु की गई थी, जिस समय तक पनडुब्बी की भौतिक स्थिति में अत्यधिक क्षति देखी गई। एमआर जनवरी 2009 तक पूरी की जानी निर्धारित थी, तथापि, यार्ड द्वारा तैनात मानवशक्ति में कमी, मुख्य लाईन केबलों के बचाव के अभाव, यार्ड सामग्री की विलम्बित आपूर्ति तथा उपकरण के आधुनिकीकरण के कारण, पनडुब्बी पोत निर्माण बाड़े द्वारा नौसेना को जून 2015 में डिलीवर की गई थी, जबकि उसके समुद्री स्वीकार्यता परीक्षण होने थे। परिणामतः, नौसेना जून 2004 से अपना एक घातक प्लेटफार्म चालू नहीं कर पाई।

(पैराग्राफ 2.1)

II. बोलियों के अनुचित मूल्यांकन के कारण आईएनएस सुजाता के मध्यम रीफिट एवं केडेट प्रशिक्षण पोत में परिवर्तन पर ₹20.80 करोड़ का परिहार्य व्यय

नौसेना ने इस मान्यता पर केडेट प्रशिक्षण पोत के रुप में भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस) सुजाता के परिवर्तन हेतु मैसर्स डब्ल्यूआईएसएल, मुम्बई (अर्थात् एक पोत निर्माण बाड़ा) की अप्रार्थित बोलियां स्वीकार की (फरवरी 2009) कि वह मैसर्स एबीजी, गुजरात (एक अन्य पोत निर्माण बाड़ा) की एक विलय की गई इकाई थी, जिसे प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था (नवम्बर 2008)। इसके अतिरिक्त, रक्षा खरीद मैनुअल में अप्रार्थित बोली पर

विचार करने के प्रावधानों के बावजूद मैसर्स डब्ल्यूआईएसएल की बोली को रद्द करने (अक्तूबर 2009) तथा परिणामतः आरएफपी पुनः जारी करने (जनवरी 2010) के कारण अनुबंध करने में 18 महीने का विलम्ब हुआ तथा ₹20.80 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

III. रोलर स्टील की अधिक खरीद

भारतीय नौसेना द्वारा पिछले दशक के दौरान सी–हैरियर विमान की धारिता में आई कमी के साथ-साथ रोलर स्टील की खरीदी जाने वाली संख्या को वर्तमान प्रणाली संचालित समीक्षा कार्यक्रम के अनुसरण के अनुसार निर्धारित न कर पाने से, रोलर स्टील की अधिक खरीद हुई तथा ₹ 2.54 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2015 तक विमान बेड़े को सेवा से हटाए जाने के संभावित कार्यक्रम के कारण, स्टॉक में पड़ी हुई अधिक मात्रा में खरीदी हुई रोलर स्टील के उपयोग की संभावना नहीं है।

(पैराग्राफ 3.2)

IV. एक विदेशी फर्म से पुर्जों की खरीद पर किया गया ₹2.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

सामग्री संगठन, मुम्बई ने मालिकाना मद प्रमाणपत्र के आधार पर एक विदेशी फर्म से अतिरिक्त पुर्ज़े खरीदे हालांकि वे पुर्ज़े देश में भी काफी कम लागत पर उपलब्ध थे जिसके परिणामस्वरूप ₹2.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

V. निकल एवं क्रोम प्लेटिंग कार्य की अनुचित योजना तथा परिणामतः उसकी ऑफलोडिंग के कारण ₹2.17 करोड़ का निष्फल व्यय

₹4.58 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत परियोजना, महत्वपूर्ण मदों को काट कर कार्य क्षेत्र को कम करने की महानिदेशक नौसेना परियोजना (विशाखापत्तनम) की एकतरफा कार्रवाई के कारण ₹2.17 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अधूरी बन्द कर दी गई थी। परिणामतः, प्रयोक्ता, नौसेना गोदीबाड़ा, विशाखापत्तनम [एनडी (वी)] अभिप्रेत सुविधा से वंचित रहा तथा निकल/क्रोम प्लेटिंग कार्य निजी क्षेत्र को ऑफलोड करने पड़े।

(पैराग्राफ 3.4)

VI. ₹1.03 करोड़ के नौसेना भण्डार की अधिक खरीद

क्रय आदेश देते समय विनिर्देशनों के विश्लेषण में सामग्री संगठन, विशाखापत्तनम [एमओ (वी)] के भाग पर समुचित श्रम के अभाव के कारण केबलों की अधिक खरीद हुई तथा परिणामतः ₹1.03 करोड़ की परिहार्य परिणामी हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

VII. स्वीकार्य शर्त को लागू न करने के कारण ₹1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करने से पूर्व अपेक्षा के समेकन में नौसेना द्वारा समुचित श्रम के अभाव के कारण आठ महीने के अन्दर एक ही प्रकार के उपकरण के लिए दो पृथक आरएफपीज़ जारी हुई। इसके अतिरिक्त, इसने आरएफपी में शामिल स्वीकार्य शर्त का प्रावधान नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप वही मद उसी फर्म से काफी ऊंची दरों पर खरीदी गई और इस प्रकार ₹1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

VIII. ₹1.15 करोड़ की राशि के ब्याज का परिहार्य भुगतान

कानूनी सलाहकार (रक्षा) की सलाह लेने के लिए इंजीनियर-इन-चीफ शाखा द्वारा पंच निर्णय लेने में अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरुप, ₹1.15 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, 2003 में संस्वीकृत एक परियोजना, परियोजना लागत में 42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी सुस्त पड़ी हुई है।

(पैराग्राफ 3.7)

IX. इलेक्ट्रिक टैकोमीटरों की अवांछित खरीद

सामग्री संगठन, मुम्बई {एमओ (एमबी)} ने 14 टैकोमीटरों की खरीद के लिए मई 2009 में उस लागत पर एक अनुबंध किया जो 24 टैकोमीटरों की खरीद के लिए सिर्फ दो महीने पहले मार्च 2009 में, किए गए एक अन्य अनुबंध के पिछले क्रय मूल्य से लगभग 15 गुणा अधिक था, जिसके परिणामस्वरुप ₹76.44 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, रक्षा खरीद मेनुअल के सकल उल्लंघन में, एमओ (एमबी) ने मांग का आकलन किए बिना

टैकोमीटरों की खरीद के लिए मांग की जिसके कारण ₹85.74 लाख मूल्य के 23 टैकोमीटर पिछले चार वर्षों से बिना मांग के ही भण्डार में पड़े रहे।

(पैराग्राफ 3.8)

X. इनशोर गश्ती पोतों के अधिग्रहण में विलम्ब

वर्तमान 13 आईपीवीज़ के समय पर प्रतिस्थापन हेतु नामांकन आधार पर तटरक्षक के लिए इनशोर गश्ती पोतों (आईपीवीज़) की प्राप्ति प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण लाभदायक नहीं हुई। परिणामतः दिसम्बर 2008 तथा जुलाई 2013 के बीच बन्द हुए 13 आईपीवीज़ में से आठ का 4 से 60 महीने के विलम्ब से प्रतिस्थापन किया जा सका, जबकि शेष पांच आईपीवीज़ का प्रतिस्थापन प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण तटरक्षक की प्रचालनात्मक क्षमता सीमित हुई।

(पैराग्राफ 4.1)

XI. पोत निर्माण बाड़ों द्वारा सृजित सुविधाओं का उपयोग

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सृजित सुविधाओं के अनुरुप आदेश सुनिश्चित किए बिना सुविधाओं का सृजन किया जिसके परिणामस्वरुप सृजित सुविधाओं का कम उपयोग हुआ। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में सृजित सुविधाओं का, माईन काउंटर मैजर वैसल्स परियोजना के लिए सहयोगी को अन्तिम रुप न दिए जाने तथा अपतट गश्ती पोतों के लिए आदेश प्राप्त न होने के कारण कम प्रयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

XII. परिसमापन क्षतिपूर्ति की वसूली न करना – मज़गांव डॉक लिमिटेड

निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब के लिए मज़गांव डॉक लिमिटेड द्वारा ₹2.75 करोड़ की राशि के परिसमापन क्षतिपूर्ति की वसूली न करना ठेकेदार का अनुचित पक्षपात था।

(पैराग्राफ 5.2)

XIII. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निधियों का विचलन

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से निधियां प्राप्त होने के बावजूद, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एमओडी से आदेशों के अभाव के कारण मशीनरी तथा अवसंरचना की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य शुरु नहीं किया। निधियां, संस्वीकृति की शर्तों के विपरीत सावधि जमाओं में रखी गई थी तथा चल-पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए अस्थाई रुप से विचलित भी की गई थी।

(पैराग्राफ 5.3)